

न्यायालय सभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी:- डॉ. प्रतिभा सिंह,आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :-388 / 2025

| अपीलाण्ट :- | बनाम | रेस्पोडेन्ट :- |
|---|------|---|
| वीराराम पुत्र श्री मूलाराम जाति गोडोलिया लौहार, निवासी बसन्त तहसील सुमेरपुर जिला पाली राजस्थान | | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली राजस्थान |

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश जिला कलेक्टर, पाली के राजस्व विविध संख्या 11/2020 अनवान सरकार बनाम वीराराम निर्णय दिनांक 06.01.2022 को पारित किया गया।


उपस्थिति :-

1. श्री गोपालसिंह राजपुरोहित, विद्वान अधिवक्ता, अपीलाण्ट्स की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 28 जनवरी, 2026

1. अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेन्ट तहसीलदार सुमेरपुर ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत अपीलाण्ट सुरेश के हक में ग्राम बाबा गांव पटवार मण्डल बसन्त के खसरा नंबर 147 रकबा 1.42 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि का आवंटन उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर के द्वारा दिनांक 13.02.2013 को किया गया है, उक्त आवंटन दिनांक 13.02.2013 को निरस्त करवाने हेतु पेश किया गया।
2. अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली ने रेस्पोडेन्ट के उक्त प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.01.2022 के द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में हुये ग्राम बाबागांव पटवार मण्डल बसन्त के खसरा नंबर 147 रकबा 1.42 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि का आवंटन आदेश दिनांक 13.02.2013 को निरस्त कर उक्त कृषि भूमि को पुनः राज्य सरकार के हक में सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये गये। जिला कलेक्टर, पाली के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट


सभागीय आयुक्त
जोधपुर

द्वारा यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 04.03.2022 को प्रस्तुत गई है।

3. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई। अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी भूमिहीन है और अपीलार्थी के भूमिहीन होने के कारण ही उनके कब्जा काश्त एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर के द्वारा दिनांक 13.02.2013 को उपरोक्त भूमि का आवंटन किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2022 से अपीलार्थी पुनः भूमिहीन हो जायेगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं।

4. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रेस्पोंडेंट/तहसीलदार सुमेरपुर के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया गया है। ऐसे में अपीलाण्ट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी भूल की गई हैं। इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों एवं विधि के विरुद्ध होने अपास्त किये जाने योग्य हैं, जिसे अपास्त फरमाया जावें।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी अभिकथन किया कि ग्राम पंचायत बंसन्त में प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2013 में आयोजित शिविर में भूमि आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष अपीलाण्ट के द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि का आवंटन करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर तत्कालीन तहसीलदार, सुमेरपुर से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार, सुमेरपुर की अभिशंषा पर आवंटन/नियमन सलाहकार समिति के निर्णयानुसार राजस्थान भू-राजस्व (भूमि आवंटन/नियमन 1970 के नियम 20 के अन्तर्गत एवं प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक प.6 (7) राज-4/77/जयपुर दिनांक 10.01.2013 की अनुपालना में ही अपीलार्थी के हक में उक्त कृषि भूमि आवंटित की गई। इस प्रकार अपीलाण्ट को आवंटित भूमि तहसीलदार की अभिशंषा पर ही आवंटित की गई है परन्तु तहसीलदार, सुमेरपुर के द्वारा पूर्व में अपनी प्रस्तुत रिपोर्ट से मुकर कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अन्य रिपोर्ट पेश की गई है, जबकि रेस्पोंडेंट पूर्व में की गई रिपोर्ट के विपरित पुनः रिपोर्ट करने के लिए विधि से बाधित था। फिर भी रेस्पोंडेंट के द्वारा अपने पद का


सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

दुरुपयोग करते हुए ऐसी रिपोर्ट पेश की गई, जिसे मानकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश पारित करने में भारी भूल की गई है, जो कि काबिले निरस्त होने से निरस्त फरमाया जायें।

6. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी अभिकथन किया कि अपीलार्थी को उक्त वादग्रस्त भूमि वर्ष 2013 में आवंटित हुई थी, परन्तु उक्त भूमि पर भू-माफियाओं की नजर थी। इसलिए भू-माफियाओं के द्वारा तथाकथित ठीकरनाथ बाबा गौ सेवा समिति के द्वारा अपीलार्थी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त कराने हेतु सन् 2014 में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो आज भी लम्बित हैं। फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने अधिकारों से बाहर जाकर जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त फरमाया जावें।

7. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी अभिकथन किया कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष उक्त अपील में अपीलार्थी के द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया था कि प्रत्यर्थागण उनकी आवंटनसुदा भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू हैं, जिस पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के द्वारा प्रथम दृष्टया मामला अपीलार्थी के पक्ष में मानते हुए दिनांक 08.07.2021 को स्थगन आदेश पारित किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया था कि वे अपीलार्थी को जबरन बैदखल नहीं करें व अपीलार्थी के निवास तथा उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। उक्त आदेश के विरुद्ध अप्रार्थी ठीकरनाथ बाबा गौ सेवा समिति के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। उक्त निगरानी में दिनांक 01.10.2021 को राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा आदेश पारित कर राजस्व अपील प्राधिकारी को सभी पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए दो माह में विधिनुसार निर्णय पारित करने का निर्देश दिया गया, परन्तु माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश दिनांक 08.07.2021 को अपास्त नहीं किया गया है तथा यहाँ यह कहना भी उचित होगा कि उक्त प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी के यहाँ लम्बित हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं।

8. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी अभिकथन किया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत हैं कि विधि के तहत दी गई समय सीमा के अन्दर ही उक्त भूमि आवंटन को निरस्त करने हेतु कार्यवाही की जा सकती हैं। जबकि रेस्पोंडेण्ट द्वारा अपीलार्थी को 2013 में किये गये आवंटन को अधीनस्थ न्यायालय के




सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

समक्ष वर्ष 2020 में चुनौती गई, जो कि असाधारण विलम्ब से पेश किया गया, परन्तु उक्त आवेदन समय बाधित होने के बाजवूद भी रेस्पोजेण्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ डिले-कंडोन हेतु न तो कोई प्रार्थना-पत्र पेश किया गया और न ही अपने प्रार्थना पत्र में देरी का कोई कारण ही अंकित किया गया। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के उक्त मुख्य बिन्दु को नजरअन्दाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया, जो कि विधि विरुद्ध होने से खारिज फरमाया जावे।

9. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी अभिकथन किया कि अपीलार्थी के भूमिहीन होने से रेस्पोजेण्ट के द्वारा पूर्ण जांच कर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलार्थी के पक्ष में भूमि आवंटन करने की अभिशषां की गई थी और उसी के आधार पर अपीलार्थी को भूमि आवंटित की गई थी, परन्तु रेस्पोजेण्ट के द्वारा द्वेषपूर्ण भावना से पूर्व में पेश की गई रिपोर्ट से विपरित जाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि स्वयं अपने ही आदेश या जांच रिपोर्ट को विधिनुसार रिकॉल नहीं कर सकता है।

10. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.01.2022 को अपीलार्थी के अधिवक्ता के द्वारा प्रकरण में नो इंस्ट्रक्शन प्लीड किया गया, जो अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में अंकित किया गया है फिर भी उसी दिनांक को अपीलार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया गया, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी अधिवक्ता के द्वारा नो इंस्ट्रक्शन प्लीड किये जाने पर न्यायालय की ओर से पक्षकार को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त विधिक बिन्दु को नजर-अन्दाज करते हुए अपीलार्थी की पीठ पीछे अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भारी भूल की है, जो काबिले निरस्त होने से निरस्त फरमाया जावे।

11. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.01.2022 में अपीलाण्ट का आवंटन के बाद से कब्जा नहीं होने का निष्कर्ष दिया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्थिति स्पष्ट थी कि उक्त आवंटन को लेकर भिन्न-भिन्न न्यायालयों में प्रकरण लम्बित थे और राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी का प्रथम दृष्टया कब्जा मानते हुए स्थगन भी जारी किया गया है। फिर भी इन सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को नजर अन्दाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जोकि विधि के विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य



है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.01.2022 को अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान करे।

12. रेस्पोजेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर के द्वारा दिनांक 13.02.2013 को ग्राम बाबागांव के खसरा नंबर 147 रकबा 1.42 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम भूमि का आवंटन अपीलाण्ट को किया गया था तथा उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 721 के द्वारा अपीलाण्ट को गैर खातेदार दर्ज किया गया। आवंटी अथवा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर आदिनांक तक कब्जा काशत नहीं है। उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 30.09.2021 के अनुसार उक्त भूमि वर्ष 2013 में अपीलान्ट को आवंटित हुई थी। आवंटी, आवंटन के पश्चात मजदूरी करने हेतु ग्राम से बाहर चला गया था। वर्तमान में अपीलाण्ट गांव बसंत में ही निवासरत है। इसी भूमि के संबंध में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पाली में एक वाद विचाराधीन है, जिसमें उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर अथवा जिला कलक्टर, पाली को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

13. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि आवंटन के लिए प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र नियम 8 (1-क) के अनुसार कृषक विवाहित होने पर पति-पत्नी दोनों द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है। जबकि प्रार्थी के द्वारा अकेले ही भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया गया है। खातेदारी अधिकार प्राप्त करने बाबत नियम 18 (4) के अनुसार आवंटी को आवंटन के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि पर तथा दूसरे वर्ष में 50 प्रतिशत क्षेत्र की भूमि पर काशत करनी होती है जो अपीलाण्ट के द्वारा मौके पर नहीं की गई है लेकिन गिरदावरी के अनुसार भूमि पड़त है। आवंटी/अपीलान्ट का कब्जा-काशत आदिनांक तक नहीं है। इस आधार पर तहसीलदार के द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त कराये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रकरण को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भूमि आवंटन के आदेश को निरस्त किया गया है।

14. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस नो इंस्ट्रक्शन प्लीड करते हुए निवेदन किया गया था कि उनके फरीकेन को लिखित में नोटिस भेजे जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए है। इस पर अप्रार्थी को बार-बार आवाजें लगवाई गई। बावजूद इसके अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में गई है तथा पत्रावली में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि के अनुसार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.01.2022 पारित किया गया है जो कि



5


सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

यथावत रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील को खारिज करने का आदेश प्रदान करे।

15. हमने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली के समक्ष तहसीलदार सुमेरपुर के द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रस्तुत कर ग्राम बाबागांव पटवार मण्डल बसन्त के खसरा नंबर 147 रकबा 1.42 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि को अपीलान्ट वीराराम के हक में उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर के द्वारा किये गये आवंटन दिनांक 13.02.2013 को निरस्त करवाने हेतु पेश किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2022 को स्वीकार करते हुए अपीलान्ट को जारी आवंटन आदेश दिनांक 13.02.2013 को निरस्त कर उक्त कृषि भूमि को पुनः राज्य सरकार के हक में सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है।

16. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में मुख्य तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलान्ट के भूमिमहीन होने के कारण ही उक्त भूमि का आवंटन उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर के द्वारा दिनांक 13.02.2013 को किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान अपीलान्ट के नियुक्त अधिवक्ता के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.01.2022 को अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा नो इस्ट्रक्शन प्लीड किया गया, जिसका अंकन अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में किया गया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करते हुए उसी दिनांक 06.01.2022 को अपीलान्ट के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है।

17. इसके विपरीत विद्वान राजकीय अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र नियम 8 (1-क) के अनुसार विवाहित कृषक को पति पत्नी दोनों द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन प्रस्तुत किया जाना था जबकि प्रार्थी के अकेले के द्वारा ही आवेदन किया गया है। इसके अतिरिक्त खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाबत नियम 18 (4) के अनुसार आवंटी को आवंटन के प्रथम वर्ष के भीतर 50 प्रतिशत भूमि पर तथा दूसरे वर्ष में शेष क्षेत्र की भूमि पर काश्त करनी होती है जो कि अपीलान्ट के द्वारा मौके पर नहीं की गई है। गिरदावरी के अनुसार भूमि पड़त है, आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होने के आधार




सम्भागीय आयुक्त
खोसपुर

पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का आवंटन दिनांक 13.02.2013 को निरस्त किया गया है।

18. हम विद्वान राजकीय अधिवक्ता की ओर से प्लीड गये कथनों तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन प्रकरण में अपीलान्ट के पक्ष में हुए आवंटन को निरस्त करने में अपनाई गई प्रक्रिया से सहमत है क्योंकि अपीलान्ट को वर्ष 2013 में कृषि हेतु उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का आवंटन, आवंटन कमेटी के द्वारा किया गया था, पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा वर्ष 2013 से वर्ष 2019 तक आवंटित भूमि पर न तो किसी प्रकार से कब्जा लिया गया है और न ही उनके द्वारा आवंटन नियमों के अनुसार किसी प्रकार की फसल काश्त की गई है। ऐसे में जिस उद्देश्य से अपीलान्ट (भूमिहीन) को कृषि कार्य हेतु भूमि का आवंटन किया गया था, वह उनके द्वारा उपयोग में नहीं लिया गया है और न ही मौके पर ऐसी कोई गतिविधियाँ होना दर्शाता है। अपीलान्ट को राजस्व न्यायालय में अपने विरुद्ध चल रहे प्रकरण की जानकारी रखनी चाहिये थी, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में अन्तिम निर्णय किये जाने से पूर्व विद्वान अधिवक्ता के नो इंसट्रक्न प्लीड किये जाने पर अपीलान्ट को न्यायालय की ओर से आवाज लगाये जाने का भी उल्लेख अपने आदेश में किया गया है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधि की त्रुटि होना नहीं पाया जाता है जिससे उसमें हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा जिला कलेक्टर, पाली के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2022 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० प्रतिभा सिंह)
संसाधनीय आयुक्त,
जोधपुर